रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15, 1970/श्रावण 24, 1892

No. 150] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15, 1970/SRAVANA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

**(Department of Food)**

ORDER

*New Delhi, the 15th August 1970*

**G.S.R. 1179.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Madhya Pradesh Rice Procurement (Levy) Order, 1960, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 1405, dated the 24th November, 1960:

Provided that such rescission shall not affect—

(a) the previous operation of the Order or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment, incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[No. 206(MP)(1)/22/70-PY.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

---

## खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

### (खाद्य विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1970

**सा० का० नि० 1179.**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 1405 तारीख 24 नवम्बर, 1960 के साथ प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल उपापन (उद्ग्रहण) आदेश, 1960 को विखण्डित करती है :

परन्तु ऐसे विखण्डन का—

(क) उस आदेश के पूर्व प्रवर्तन पर या तद्धीन सम्यकतः की गई या मुक्त किसी बात पर; या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित किसी विशेषाधिकार, प्रोद्भूत किसी बाध्यता या उपगत किसी दायित्व पर; या

(ग) उक्त आदेश के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शक्ति, समपहरण या दण्ड पर; या

(घ) उपर्युक्त में से किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शक्ति समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर ;

प्रभाव नही पड़ेगा ;

और ऐसे कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखी जा सकेगी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शक्ति समपहरण या दण्ड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखण्डित नहीं किया गया था ।

[सं० 206 (एम०पी० (1)/22/70—पी० वाई० II]

आर० बालसुब्रमण्यन,
संयक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970